न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
26/2018 प्रा.पत्र/2018	03.04.2018	28.03.2025

सत्यनारायण गूर्जर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक राज0।

.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री महेश कुमार बडाया पुत्र श्री बाबूलाल बडाया निवासी वनस्थली मोड रूपवास तह. निवाई जिला टोंक मैसर्स कृष्णा किराना स्टोर वनस्थली मोड निवाई जिला टोंक राज0। पिनकोड–304021

2–मैसर्स कृष्णा किराना स्टोर वनस्थली मोड निवाई जिला टोंक राज0। पिनकोड–304021

3–श्री शशिकान्त टोडवाल प्रोपरायटर मैसर्स टोडवाल एन्टरप्राईजेज झिलाई रोड निवाई जिला टोंक राज0। पिनकोड–304021

4–मैसर्स टोडवाल एन्टरप्राईजेज झिलाई रोड निवाई जिला टोंक राज0। पिनकोड–304021

5–श्री भास्कर खण्डेत नॉमिनी मैसर्स बुन्गे इण्डिया प्रा0 लि0 रामगंज बालाजी बून्दी राज0/7869, जयपुर डिपो, खसरा नं0 30, ग्राम पंचायत आखेडा डूंगर, जयपुर राज0/ दी कैपिटल, 601 सी एण्ड डी, 6 फ्लोर, सी–70, जी–ब्लॉक, बाद्राकुर्ला कॉम्पलेक्स, बान्द्रा ईस्ट मुम्बई महाराष्ट्र। पिनकोड–400051

6– मैसर्स बुन्गे इण्डिया प्रा0 लि0 रामगंज बालाजी बून्दी राज0/7869, जयपुर डिपो, खसरा नं0 30, ग्राम पंचायत आखेडा डूंगर, जयपुर राज0/ दी कैपिटल, 601 सी एण्ड डी, 6 फ्लोर, सी–70, जी–ब्लॉक, बाद्राकुर्ला कॉम्पलेक्स, बान्द्रा ईस्ट मुम्बई महाराष्ट्र। पिनकोड–400051

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (v) एवं दण्डनीय धारा 58 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।

2–अभिभाषक अप्रार्थीगण श्री भजनलाल सैनी उप.।

:–निर्णय–: दिनांक 28/3/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 07.10.2017 को समय 04:30 पी.एम. पर मैसर्स कृष्णा किराना स्टोर वनस्थली मोड निवाई जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री महेश कुमार बडाया पुत्र श्री बाबूलाल बडाया अपने प्रतिष्ठान मैसर्स कृष्णा किराना स्टोर वनस्थली मोड निवाई जिला टोंक पर खाद्य प्रदार्थ घी, तेल, मसाले व अन्य खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री महेश कुमार बडाया पुत्र श्री बाबूलाल बडाया को

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री महेश कुमार बडाया पुत्र श्री बाबूलाल बडाया ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना स्वीकार किया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र होना स्वीकार किया एवं दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा, निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में कन्फैक्शनरी, घी, तेल, मसाले के साथ–साथ दुकान की रैक में लगभग 20 मूल पैक पैक्ड अवस्था में प्रत्येक 1–1 लीटर पैक **रिफाइंड सोयाबीन तेल (लोटस ब्राण्ड)** रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री महेश कुमार बडाया पुत्र श्री बाबूलाल बडाय़ को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री महेश कुमार बडाया पुत्र श्री बाबूलाल बडाय़ा व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **रिफाइंड सोयाबीन तेल (लोटस ब्राण्ड)** के बैच नम्बर बीएनएल–310717 बी एव पैंकिग की दिनांक जुलाई 2017 थी, के 1–1 लीटर पैक के चार मूल पैक वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, दुकान की रैक में रखे 1 लीटर मूल पैक के में से 4 मूल पैक वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **रिफाइंड सोयाबीन तेल (लोटस ब्राण्ड)** 4 मूल पैक प्रत्येक 1–1 लीटर पैक को एक–एक नग के बराबर–बराबर नियमानुसार चार भाग तैयार किये प्रत्येक भाग को गोद से अच्छी तरह चिपकाया एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–1762 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–1762 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री महेश कुमार बडाया पुत्र श्री बाबूलाल बडाया मैसर्स कृष्णा किराना स्टोर वनस्थली मोड निवाई जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स टोडवाल एन्टरप्राईजेज झिलाई रोड निवाई जिला टोंक राज0 का एवं उक्त फर्म के व्यवहारी ने बतौर वारन्टी मैसर्स बुन्गे इण्डिया प्रा0 लि0 रामगंज बालाजी बून्दी राज0/7869, जयपुर डिपो, खसरा नं0 30,

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

ग्राम पंचायत आखेडा डूंगर, जयपुर राज0 / दी कैपिटल, 601 सी एण्ड डी, 6 फ्लोर, सी–70, जी–ब्लॉक, बान्द्राकुर्ला कॉम्पलेक्स, बान्द्रा ईस्ट मुम्बई महाराष्ट्र का बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए / 17 / 4594 दिनांक 13.11.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एलएस / 686 / एक्ट / 2017 / 684 दिनांक 31.10.2017 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **रिफाइंड सोयाबीन तेल (लोटस ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 के रेगुलेशन नं. 2.4.2.(1) के अनुसार **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक श्री भजनलाल सैनी उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट / दोष नहीं है एवं पैकेट पर लिखी Expression "Zero cholesterol and Rich in omega 3 fatty acid" अतिश्योक्ति की श्रेणी में नही आता है जबकि अधिनियम के Regulations, 2.4.2(1) Labling of edible oil and fats 1. The package label or the advertisement of edible oils and fats shall not use the expressions "Super Refined", "Extra-Refined, "Micro-refined", "Double- Refined", "Ultra-Refined", "Anti-choleserol", "Cholestrol fighter", "Soothing to Heart", "Cholestrol friendly", "Saturated fat free" or such other expression which are an exaggeration of the quality of the product.तथा इनमें से कोई भी Expression हमारे द्वारा लेबल पर अंकित नहीं किया गया है। अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि केवल पशुओं से प्राप्त उत्पाद दूध, घी आदि में कॉलेस्ट्राल होता है लेकिन वनस्पति से प्राप्त खाद्य पदार्थ में कॉलेस्ट्राल नहीं पाया जाता है। यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र Expression "Zero cholesterol and Rich in omega 3 fatty acid" लिखा होने के कारण उक्त नमूना कॉन्ट्रावेन स्तर का होना पाया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **रिफाइंड सोयाबीन तेल (लोटस ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त खाद्य पदार्थ के लेबल पर Expression "Zero cholesterol and Rich in omega 3 fatty acid" लिखा होने के कारण यह खाद्य सुरक्षा और मानक(पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम 2011 के रेगुलेशन नं0 2.4.2(1) का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसके अन्तर्गत खाद्य पदार्थ के लेबल पर रेगुलेशन नं0 2.4.2(1) में वर्णित शब्दों के साथ–साथ उनके समकक्ष ऐसे पद जो उत्पाद की गुणवत्ता की अतिश्योक्ति दर्शाते हो, का प्रयोग नहीं किया जाना अनिवार्य है। निर्माता फर्म द्वारा खाद्य पदार्थ के लेबल पर Expression "Zero cholesterol and Rich in omega 3 fatty acid" अंकित कर उपभोक्ताओं को भ्रमक एवं गलत जानकारी देने के प्रयास किये जा रहे है। अतः उक्त अभिव्यक्ति खाद्य

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 58 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली तथा अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **रिफाइंड सोयाबीन तेल (लोटस ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (v) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 58 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 1,00,000/– (अक्षरे एक लाख रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28/3/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(रामरतन सौंकरिया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0